जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य अधिकारी के नाम से।
सम्बोधन लिफाफा पर लिखे पूर्व में यदि व्यवहार हुआ हो तो उस क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : कृष्णगंजित
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक एफ/सम्बद्धता/2012/5906

दिनांक: 24/01/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध भगवान बुद्धेलाल महाविद्यालय, समाधिया कॉलोनी, ग्वालियर (0751-2454242) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। **(संयोजक)** (0751-2442822)
(2) डॉ. बी.एस. महाजन, व्याख्याता, शा. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
(3) डॉ. एस.डी. सिसौदिया, उपाचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, शिक्षित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ.अ.2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में **Report** प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थदण्ड जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)